राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और शोध संस्थान (मास्टर्स और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री) अध्यादेश, 2005

[दिनांक 15.5.2025 की स्थिति के अनुसार अद्यतन]

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 28 और 29 के अनुसरण में, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान की सीनेट मास्टर कार्यक्रम और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से संबंधित संस्थानों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों, इन कार्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश की प्रक्रिया, विद्यार्थी द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस, फेलोशिप, मूल्यांकन की विधि, सेमेस्टर रजिस्ट्रीकरण, उपस्थिति आवश्यकता, अवकाश, पाठ्यक्रम कार्य, विभिन्न समितियों की स्थापना, परीक्षक बोर्ड और डिग्रियों के अधिनिर्णय से संबंधित कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है और निर्देश देती है कि उक्त अध्यादेश इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1**)** इस अध्यादेश को राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान (डिग्री ऑफ मास्टर्स और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) अध्यादेश, 2005 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगा।

2) परिभाषाएं :

(क) **सलाहकार** से अभिप्रेत संस्थान का कोई संकाय सदस्य जिसे विद्यार्थी के शोध कार्य की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया है,

(ख) **सलाहकार समिति** से अभिप्रेत विभागीय शैक्षणिक सलाहकार समिति है,

(ग) **बोर्ड** से अभिप्रेत परीक्षकों का बोर्ड है,

(घ **अध्ययन और शोध बोर्ड** से अभिप्रेत संस्थान का अध्ययन और शोध बोर्ड है,

(ङ) **बी.ई या बी.टेक** से अभिप्रेत क्रमशः इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री या प्रोद्यौगिकी की बैचलर डिग्री है,

(च) **बी. फार्म** से अभिप्रेत फार्मेसी की बैचलर डिग्री है,

(छ) **बी.वी.एस.सी.** से अभिप्रेत पशु चिकित्सा विज्ञान की बैचलर डिग्री है,

(ज) **बी.ए.एम.एस.** से अभिप्रेत आयुर्वेद औषधियाँ एवं सर्जरी की बैचलर डिग्री है,

(झ) **अभ्यर्थी** से अभिप्रेत संस्थान के किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति है,

(ञ) **सी.जी.पी.ए.** से अभिप्रेत संचयी ग्रेड बिंदु औसत है,

(ट) **पाठयक्रम** कार्य से अभिप्रेत किसी विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले संबंधित विभाग द्वारा बनाये गए और प्रस्थापित अध्ययन पाठयक्रम है,

(ठ) **डिग्री** से अभिप्रेत मास्टर आफ फार्मेसी (एम. फार्म.) फार्मेसी में मास्टर आफ टैक्नोलोजी (एम.टेक (फार्म.)], मास्टर आफ साइंस, (फार्मास्यूटिकल्स साइंसेस), (एम.एस. (फार्म)), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फार्म)

(एम.बी.ए. (फार्म.)), और डॉक्टर आफ फिलोसफी (पी.एच.डी.) जो लागू हो है,

(ड) **डी.ए.ए.सी.** से अभिप्रेत विभागीय शैक्षणिक सलाहकार समिति है,

(ढ) **जीपेट** से अभिप्रेत स्नातक फार्मेसी एप्टीट्यूड परीक्षा (ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा संचालित) है,

(ण) **गेट** से अभिप्रेत भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थानों द्वारा संचालित इंजीनियरी में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा है,

(त) **संस्थान** से अभिप्रेत साहिबजादा अजित सिंह नगर, पंजाब, स्थित राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान है,

(थ) **संस्थान वित्त पोषित विद्यार्थी** से अभिप्रेत संस्थान अध्येता का उपभोग करने वाला, कोई विद्यार्थी है,

(द) **संयुक्त सलाहकार** से अभिप्रेत विद्यार्थी के शोध कार्य को पूरा करने में सलाहकार की सहायता करने के लिए अतिरिक्त संकाय सदस्य / एक्सपर्ट को विद्यार्थी के शोध कार्य निरीक्षण के लिए नियुक्त करना है,

(ध) **न्यूनतम रजिस्ट्रीकरण अवधि** से अभिप्रेत वह न्यूनतम अवधि है जिसके दौरान विद्यार्थी अपने शोध निबंध को प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को पंजीकृत करता है।

(न) **एम.एस.सी.** से अभिप्रेत मास्टर ऑफ साइंस है,

(प) **एम.टेक.** से अभिप्रेत मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है,

(फ) **नेट** से अभिप्रेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है,

(ब) **अन्य संस्थान** से अभिप्रेत वे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हैं, जो स्नातक डिग्री या उच्चतर डिग्री ऑफर करते हो,

(भ) **प्रायोजित विद्यार्थी** से अभिप्रेत ऐसा विद्यार्थी है जो किसी बाह्य संगठन से अध्येतावृत्ति प्राप्त कर रहा है,

IndiaCode

(म) **विद्यार्थी** से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम के लिए प्रवेश या पंजीकृत किया गया है,

(य) **विद्यार्थी शोध समिति** से अभिप्रेत वह समिति है, जो विद्यार्थी के शोध कार्य की प्रगति पर नजर रखती है।

(3) साधारण दिशा-निर्देश-(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता, धारा 5 द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मापमानक के अनुसार होगी।

(2) किसी विद्यार्थी से, अध्यादेश के अधीन शैक्षिक कार्यक्रम के लिए यथा उल्लिखित पाठ्यक्रमों के माध्यम से न्यूनतम क्रेडिट उपार्जित करना और सलाहकार के मार्गदर्शन के अधीन संस्थान में शोध कार्य करना अपेक्षित होगा। विशेष परिस्थितियों में, किसी विद्यार्थी को संस्थान से बाहर शोध का भाग पूरा करने के लिए अध्ययन और शोध बोर्ड द्वारा अनुमति दी जायेगी।

(3) विद्यार्थी को धारा 25 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर एक विशेष मास्टर डिग्री कार्यक्रम की पात्रता के लिए जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

(4) पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत विद्यार्थी को धारा 26 के अनुसार न्यूनतम रजिस्ट्रीकरण की अवधि की अपेक्षा का समाधान करना अपेक्षित होगा।

(5) किसी पीएच.डी. विद्यार्थी की प्रवेश तारीख, उसकी आरंभिक अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की तारीख होगी।

(6) यदि कोई विद्यार्थी किसी शैक्षिक कार्यक्रम से या पीएच.डी. रजिस्ट्रीकरण से दो वर्ष के अन्तर्गत निलंबित हो जाता है तो उस विद्यार्थी की सदस्या समाप्त हो जायेगी।

4. प्रस्तावित कार्यक्रम- निम्नलिखित विशेषज्ञताओं के साथ मास्टर्स कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है। सभी शैक्षिक कार्यक्रम कलेण्डर के अनुसार चार समेस्टर की अवधि के होंगे।

(क) मास्टर ऑफ साइंस (फार्म.)/ कार्यक्रम:
निम्नलिखित विशेषज्ञताएं प्रस्तावित की जाएगीं:

(i) औषधीय रसायन विज्ञान

(ii) प्राकृतिक उत्पाद

(iii) पारंपरिक चिकित्सा

(iv) औषध विश्लेषण

IndiaCode

(v) औषध विज्ञान और विष विज्ञान

(vi) विनियामक विष विज्ञान

(vii) औषधीय विज्ञान

(viii) जैव प्रौद्योगिकी

(ix) फार्माकोइन्फरमेटिक्स

(ख) मास्टर ऑफ फार्मेसी कार्यक्रम :

निम्नलिखित विशेषज्ञताएं प्रस्तावित की जाएगीं:

(i) औषधीय प्रौद्योगिकी (सूत्रीकरण),

(ii) औषधीय विनिर्माण व्यवसाय

(iii) नैदानिक शोध

(ग) मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी (फार्म.) कार्यक्रम :

निम्नलिखित विशेषज्ञताएं प्रस्तावित की जाएगीं:

(i) औषधीय प्रौद्योगिकी (रसायन प्रक्रिया),

(ii) औषधीय प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी)

(घ) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फार्म.) कार्यक्रम:

निम्नलिखित विशेषज्ञताएं प्रस्तावित की जाएगीं:

(i) वित्तीय

(ii) मानव संसाधन प्रबंधन

(iii) सूचना प्रणाली प्रबंधन

(iv) विपणन

(v) उत्पादन

(ङ) पीएच.डी. कार्यक्रम विभिन्न विषयों में उपलब्ध होगी।

IndiaCode

5) प्रवेश के लिए अर्हता :

(क) मास्टर ऑफ साइंस (फार्म.) कार्यक्रम :

(i) औषधीय रसायन विज्ञान

बी. फार्म.; एम.एससी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान);

(ii) प्राकृतिक उत्पाद

बी. फार्म.; एम.एससी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान);

(iii) पारंपरिक चिकित्सा

बी. फार्म.; बी.ए.एम.एस.; एम. एससी. (वनस्पति विज्ञान);

(iv) औषध विश्लेषण

बी. फार्म.; एम.एससी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान / विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान);

(v) औषध विज्ञान और विष विज्ञान

बी. फार्म.; बी.वी.एससी.; एम.बी.बी.एस;

(vi) विनियामक विष विज्ञान

बी.फार्म.; बी.वी.एससी; एम.एससी. (औषध विज्ञान/विष विज्ञान/जीवन विज्ञान/जैव रसायन/चिकित्सा जैव प्रौदयोगिकी/प्राणी विज्ञान); एम.बी.बी.एस;

(vii) औषधीय विज्ञान

बी. फार्म.;

(viii) जैव प्रौद्योगिकी

बी.फार्म.; एम.एससी. (जैविक विज्ञान);

(ix) फार्माकोइनफरगैटिक्स

बी.फार्म.; बी.टैक (बायोइंफोरमेटिक्स); एम.एससी. (कार्बनिक/फिजीकल/औषधीय विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/जैव प्रौदयोगिकी/आणविक जीव विज्ञान/जैव सूचना विज्ञान/सूक्ष्मजैविकी विज्ञान)

IndiaCode

(ख) मास्टर ऑफ फार्मेसी कार्यक्रम:

(i) औषधीय प्रौद्योगिकी (सूत्रीकरण)
बी. फार्म.

(ii) औषधीय विनिर्माण व्यवसाय

बी. फार्म.

(iii) नैदानिक शोध

बी. फार्म.

(ग) मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (फार्म.) कार्यक्रम:

(i) औषधीय प्रौद्योगिकी (रसायन प्रक्रिया)

बी. फार्म.; एम.एससी. (कार्बनिक रसायन) एवं बी.टेक. (रसायन अभियांत्रिकी) या समकक्ष।

(ii) औषधीय प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी)

बी. फार्म., एम.एससी. (जीवन विज्ञान)

(घ) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फार्म.) कार्यक्रम:

बी. फार्म.; बी.टेक. (रसायन अभियांत्रिकी या समकक्ष) एम.एस.सी. (रसायन/जीवन विज्ञान)।

(ङ) पी.एच.डी. कार्यक्रम :

रसायन विज्ञान :

(i) औषधीय रसायन विज्ञान

एम.एस. (फार्म.) (रसायन विज्ञान/प्राकृतिक उत्पाद);

एम. फार्म. (औषधीय रसायान विज्ञान) ; एम.टेक. (फार्म.);

(बल्क ड्रग्स / रसायन प्रक्रिया); एम.एससी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान);

(ii) प्राकृतिक उत्पाद

एम.एस. फार्म., (प्राकृतिक उत्पाद/औषधीय स्सायान विज्ञान / पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान);

IndiaCode

एम. फार्म. (औषधीय रसायन विज्ञान/फार्माकोनोंग्सी); एम.टेक. (फार्म.) (बल्क ड्रग्स/ रसायन प्रक्रिया), एम.एससी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान);

(iii) फार्माकोइनफॉरमैटिक्स

एम. एस. (फार्म.) (फार्माकोइनफॉरमैटिक्स/औषधीय रसायन विज्ञान/प्राकृक्तिक उत्पाद); एम. टेक. (फार्म.) (बल्क ड्रग्स/प्रक्रिया रसायन); एम.टेक. (बायोइंफोरमेटिक्स); एम.एससी. (कार्बनिक रसायन/ फिजीकल /औषधीय रसायन विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/जैव भौतिकी / जैव प्रौद्योगिकी / सूक्ष्मजैविकी);

(iv) औषधीय प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया रसायन)

एम.एस (फार्म.); एम.टेक (फार्म.); एम.एससी. (कार्बनिक रसायन विज्ञान)

जैविक विज्ञान :

(i) औषध विज्ञान और विष विज्ञान

एम. एस. (फार्म.)/ एम. फार्म. / एम. टेक (फार्म.) (औषधि रसायन विज्ञान/औषधीय रसायन विज्ञान/प्राकृतिक उत्पाद/औषधशास्त्र एवं विष विज्ञान/विनियामक विष विज्ञान/सूत्रीकरण/जैव प्रौद्योगिकी/औषधीय/ फार्माइंफोरमेटिक्स; एम.ई./एम.टेक./एम.एससी. (औषध शास्त्र/जैव प्रौद्योगिकी/अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी/संगणना विज्ञान/जीव रसायन/विष विज्ञान/प्राणी विज्ञान/शरीर विज्ञान/जीवन विज्ञान/ सूक्ष्म जैविकी विज्ञान/कार्बनिक रसायन विज्ञान/औषधीय रसायन विज्ञान); एम. डी. (औषध शास्त्र); एम.वी.एससी. (औषध शास्त्र/पैथोलॉजी/जैव प्रौद्योगिकी); एम.सी.ए.;

(ii) जैव प्रौद्योगिकी

एम.एस. (फार्म.)/एम. फार्म./एम.टेक (फार्म.) (औषधीय रसायन विज्ञान/औषधीय रसायन विज्ञान/प्राकृतिक उत्पाद/औषध शास्त्र एवं विष विज्ञान/सूत्रीकरण/जैव प्रौद्योगिकी/ औषधीय/फार्माइंफोरमेटिक्स); एम.ई./एम.टेक./एम.एससी. (जैव प्रौद्योगिकी/जीवन विज्ञान/कम्प्यूटेंशनल विज्ञान; जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान/शरीर विज्ञान/जीवन विज्ञान/कार्बनिक रसायन विज्ञान/औषधीय विज्ञान); एम.वीएस.सी.; एम.सी.ए.;

(iii) औषधीय विनिर्माण व्यवसाय

एम. फार्म. (औषध विनिर्माण व्यवसाय/सामूहिक व्यवसाय/ चिकित्सा औषध विनिर्माण/ नैदानिक औषध विनिर्माण)

(iv) औषधीय तकनीकी (जैव प्रौद्योगिकी)

एम.एस. (फार्म.); एम. फार्म.; एम.एससी. (जीवन विज्ञान); एम. टेक (फार्म.) (जैव प्रौद्योगिकी)

औषधीय विज्ञान:

(i) औषधीय विश्लेषण

एम.एस. (फार्म.) (औषधीय विश्लेषण); एम. फार्म. (औषधीय विश्लेषण); एम.एससी. (कार्बनिक रसायन / विश्लेषात्मक रसायन);

(ii) औषधीय विज्ञान

एम.एस. (फार्म.) (औषधीय विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/औषध शास्त्र), एम. फार्म. (औषधीय विज्ञान/ सूत्रीकरण); एम. टेक (फार्म.) (जैव प्रौद्योगिकी) एम.टेक (जैव रसायन अभियांत्रिकी/ जैव प्रौद्योगिकी / रसायन अभियांत्रिकी)।

(iii) औषधीय प्रौद्योगिकी (सूत्रीकरण)

एम.एस. (फार्म.), (औषधीय शास्य / जैव प्रौद्योगिकी/औषध विश्लेषण), एम. फार्म. (औषधीय विज्ञान/ सूत्रीकरण); एम. टेक (फार्म.) (जैव प्रौद्योगिकी)।

IndiaCode

जीपेट/गेट/नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य हैं परन्तु ये बी.वी.एस.सी/एम.वी एस.सी/एम.बी.बी.एस./एम.डी./बी.ए.एम.एस. डिग्री धारकों एवं विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य नहीं होगा।

अभ्यर्थी को अपनी पात्रता के लिए डिग्री कार्यक्रम में 10 अंकों के मापक्रम पर 6.75 संचयी ग्रेड बिंदु औसत या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता 10 मापक्रम पर 6.25 संचयी ग्रेड बिंदु औसत या न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों के उम्मीदवारों के लिए पात्रता 10 मापक्रम पर 5.75 संचयी ग्रेड बिंदु औसत या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

(6) प्रायोजित अभ्यर्थी-

मास्टर्स कार्यक्रमों की स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त पाँच प्रतिशत सीटें सरकारी विभागों / शोध और विकास संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निजी औषध उद्यमों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी।

प्रतिष्ठित निजी औषध उद्योगों से अभिप्राय वो उद्योग/सरकारी प्रायोजित, एक ट्रस्ट, प्राईवेट लिमिटेड कंपनी, साझेदारी/एल.एल.पी. कम्पनी है। एक स्वनियोजित व्यक्ति / लघु उद्यमी जिसके पास औषध विनिर्माण का लाइसेंस हो तथा फार्मा यूनिट चलाने का 3 वर्ष का अनुभव हो, स्वय: को स्वनियोजित कर सकता है। इसके लिए 3 वर्ष का आयकर रिर्टन की योग्यता मान्य होगी। उद्योग / सरकारी प्रयोजित उम्मीदारों के लिए 100 करोड रूपये का टर्न ओवर (प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के लिए), 10 करोड़ (साझेदार / समिति दायित्व भागीदारी के लिए), 2

करोड़ (स्वरोजगार व्यक्ति के लिए) हो। उपरोक्त के अलावा, अभ्यर्थी जो अपनी भविष्य निधि नियोक्ता कटवाता हो।

प्रायोजित अभ्यर्थी से सामान्य/नियमित फीस की तुलना में दुगनी फीस ली जाएगी।

पात्रता की शर्तें:

(क) न्यूनतम 60% कुल अंकों के साथ योग्यता डिग्री या 10 अंक के पैमाने पर 6.75 का संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत;

(ख) योग्यता डिग्री के बाद अपने प्रायोजक नियोक्ता के संगठन में न्यूनतम दो वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव। इन दो वर्षों के लिए वेतन विवरण की आवश्यकता होगी।

(ग) प्रायोजक संगठन से एक वचनबद्धता के रूप में प्रायोजन प्रमाण पत्र कि प्रायोजित कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाएगा और इस संस्थान में अध्ययन/शोध की अवधि के लिए उसे सामान्य वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को अध्ययन/शोध के लिए नियोक्ता द्वारा पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा।

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जीपीएटी/गेट/नेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता में छूट दी गई है; तथा

(ङ) यदि कोई नियोक्ता प्रायोजन वापस लेना चाहता है, ऐसे नियोक्ता को वापसी के लिए ठोस कारण बताने की आवश्यकता होगी। इसके बाद विद्यार्थी को इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। जहां डीन और निदेशक संतुष्ट हैं कि विद्यार्थी ने नियोक्ता के साथ समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है, ऐसे व्यक्ति को संस्थान का विद्यार्थी नहीं माना जाएगा। यदि विद्यार्थी ने अपने नियोक्ता के साथ समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद, भारतीय चिकित्सा शोध परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ऐसे अन्य संगठनों जैसे सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित पीएचडी विद्यार्थी इस खंड में उल्लिखित पांच प्रतिशत सीटों से अधिक होंगे।

7. विदेशी राष्ट्रिकों को प्रवेश:

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश पर, विभिन्न विद्यार्थीवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय द्वारा चयनित पात्र विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा; तथा

InfiaCode

(ख) पात्र स्व-वित्त पोषित विदेशी राष्ट्रिकों के संस्थान द्वारा प्रवेश के लिए प्रत्यक्षत: विचार किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व मंजूरी लेकर प्रवेश के लिए संस्थान से संपर्क करना होगा।

(ग) ये सीटें उपलब्ध सीटों से अतिरिक्त होंगी।

8. आरक्षण:

राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में, सभी मास्टर कार्यक्रमों में निम्नलिखित आरक्षण की अनुमति होगी:

(क) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए; 15% सीटें;

(ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए: 7.5% सीटें और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए; 27% सीटें।

IndiaCode

स्वीकृत क्षमता के अतिरिक्त तीन प्रतिशत सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं, बशर्ते कि एक विषय में दो से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

9. प्रवेश परीक्षा:

(क) सभी मास्टर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी ;

(ख) पीएच.डी. कार्यक्रमों के लिए एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ग) प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा; तथा

(घ) विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों और संस्थान की वेबसाइट पर प्रवेश सूचना के प्रकाशन के पश्चात निर्धारित प्रपत्र सूचना विवरणिका के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

10. प्रवेश मानदंड:

(क) मास्टर्स कार्यक्रम :

(i) प्रवेश परीक्षा में योग्यता (मेरिट) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा;

(ii) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फार्मा) के लिए प्रवेश परीक्षा में योग्यता (मेरिट) और समूह चर्चा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा; जिसका वेटेज निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

प्रवेश परीक्षा में योग्यता (मेरिट) - 85%;
समूह चर्चा एवं साक्षात्कार - 15%.

(ख) पीएच.डी. कार्यक्रम :

प्रवेश निम्नलिखित वेटेज के आधार पर किया जाएगा:
प्रवेश परीक्षा में योग्यता (मेरिट) - 85%;
साक्षात्कार में प्रदर्शन - 15%.
सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

IndiaCode

11. प्रवेश के लिए प्रक्रिया:

(क) मास्टर्स कार्यक्रम :

(i) पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और/या समूह चर्चा में उपस्थित होना अपेक्षित होगा, जहाँ भी लागू हो;

(ii) अभ्यार्थि की अनुपस्थिति में कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा;

(iii) प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची संस्थान के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी;

(iv) चयनित अभ्यर्थियों को अधिसूचित तारीख एवं समय तक शुल्क एवं अन्य प्रभार जमा करना अपेक्षित होगा;

(v) भुगतान चंडीगढ़/एसएएस नगर के क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट या काउंटर पर नकद निदेशक, नाईपर के पक्ष में देय होगा;

(vi) यदि कोई अभ्यर्थी अधिसूचित तारीख और समय तक फीस आदि जमा नहीं करता है तो उसे सीट से वंचित कर दिया जाएगा। सीट योग्यता (मेरिट) सूची में अगले अभ्यर्थी को प्रदान कर दी जाएगी।

(vii) विद्यार्थी को संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में उल्लिखित अवधि में प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ से पहले रजिस्ट्रीकरण कराना होगा;

(viii) यदि विद्यार्थी प्रवेश लेने तथा फीस का भुगतान करने के पश्चात अपना नाम वापस ले लेता है तो उसे केवल सुरक्षा राशि ही वापस की जाएगी।

(ख) पीएच.डी. कार्यक्रम :

(i) प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार में योग्यता (मेरिट) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा;

(ii) अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय स्वयः उपस्थित होना होगा;

(iii) अभ्यार्थी की अनुपस्थिति में कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा;

(iv) शुल्क और अन्य प्रभारों का भुगतान अधिसूचित तारीख और समय तक किया जाना अपेक्षित होगा;

(v) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तारीख और समय तक फीस आदि जमा नहीं करता है तो उसे सीट से वंचित कर दिया जाएगा। सीट योग्यता (मेरिट) सूची में अगले अभ्यर्थी को प्रदान कर दी जाएगी।

(vi) अभ्यर्थी को प्रवेश के समय पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण कराना होगा;

(vii) यदि विद्यार्थी सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लेता है और विस्तृत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, तो अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रवेश की तारीख से स्थायी रजिस्ट्रीकरण माना जाएगा;

(ix) यदि विद्यार्थी प्रवेश लेने तथा फीस का भुगतान करने के पश्चात अपना नाम वापस ले लेता है तो उसे केवल सुरक्षा राशि ही वापस की जाएगी।

12. विद्यार्थियों का वर्गीकरण:

संस्थान द्वारा प्रस्तावित किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) संस्थान वित्त पोषित विद्यार्थी;

IndiaCode

(ख) प्रायोजित विद्यार्थी:

(i) सरकारी वित्त पोषण एजेंसियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ऐसे अन्य सरकारी संगठन से अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी।

(ii) सरकारी विभागों/शोध एवं विकास संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निजी औषध उद्यमों/विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विद्यार्थी।

13. अध्येतावृत्ति (फैलोशिप):

(क) सभी संस्थान वित्त पोषित विद्यार्थी अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) के पात्र होंगे;

(ख) अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) का अनुदान सीनेट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा;

(ग) मास्टर्स कार्यक्रम के लिए पंजीकृत विद्यार्थी को अधिकतम चार सेमेस्टर के लिए अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) मिलेगी। इसमें पिछला रजिस्ट्रीकरण (यदि कोई हो) भी शामिल होगा;

(घ) पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत संस्थान द्वारा वित्त पोषित विद्यार्थियों को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) मिलेगी;

(ङ) संस्थान द्वारा वित्त पोषित विद्यार्थियों के लिए अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) का नवीनीकरण मास्टर कार्यक्रम के विद्यार्थियों के साथ-साथ पीएच.डी. विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में किया जाएगा; तथा पीएच.डी. विद्यार्थियों के लिए विस्तृत परीक्षा के बाद प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।

(च) यदि किसी भी स्तर पर फैलोशिप प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की प्रगति और आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) निलंबित/समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि, विद्यार्थी के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई शुरू करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया जाएगा; और,

(छ) संस्थान एमबीए (फार्मा) कार्यक्रम के दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर के तीन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वित्तीय सहायता पिछले सेमेस्टर में योग्यता (मेरिट) के आधार पर दी जाएगी:

बशर्ते कि यदि धारा 13(छ) के अनुसार समान योग्यता (मेरिट) के कारण तीन से अधिक विद्यार्थी वित्तीय सहायता के लिए पात्र पाए जाते हैं, तो दूसरे सेमेस्टर के लिए अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) प्रदान करने के लिए योग्यता (मेरिट) का निर्धारण जीपीए और प्रवेश योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जाएगा तथा अगले सेमेस्टर में जीपीए, सीजीपीए और प्रवेश योग्यता (मेरिट) के आधार पर, जो भी लागू हो, निर्णय लिया जाएगा।

14. रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण:

(क) यदि विद्यार्थी शोध समिति इस बात से संतुष्ट है कि विद्यार्थी ने आवश्यक संख्या में पाठ्यक्रम/क्रेडिट पूरे कर लिए हैं और/या शोध कार्य में प्रगति संतोषजनक है, तो ऐसे विद्यार्थी को अपना रजिस्ट्रीकरण नवीनीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मास्टर्स विद्यार्थियों के लिए यह मूल्यांकन तीसरे और चौथे सेमेस्टर में होगा । पीएच.डी. विद्यार्थियों के लिए, रजिस्ट्रीकरण विस्तृत परीक्षा के बाद प्रत्येक वर्ष होगा;

(ख) सेमेस्टर शुरू होने से पहले प्रत्येक विद्यार्थी को संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और कार्यक्रम के अनुसार व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण करना होगा। विद्यार्थी को रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय फीस और अन्य शुल्क जमा करना होगा;

(ग) विद्यार्थी को रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय लेखा विभाग के साथ-साथ छात्रावास वार्डन से 'अदेयता' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(घ) रजिस्ट्रीकरण के विलंबित या अनुपस्थिति नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, विभागीय असाइनमेंट/प्रशिक्षण आदि जैसी विशेष परिस्थितियों में डीन, परिस्थितियों से संतुष्ट होने के बाद, रजिस्ट्रीकरण के विलंबित या अनुपस्थिति नवीनीकरण की अनुमति प्रदान कर सकेगा। कक्षाएं/सेमेस्टर शुरू होने के 10 दिन बाद रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

(ङ) जो विद्यार्थी अधिसूचित तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नवीनीकृत कराने में असमर्थ रहता है, उसे संस्थान का विद्यार्थी नहीं माना जाएगा।

15. रजिस्ट्रीकरण रद्द करना:

विद्यार्थी का निम्नलिखित में से किसी भी एक परिस्थिति में रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा:

(क) यदि विद्यार्थी बिना किसी पूर्व सूचना/अवकाश मंजूर किए बिना चार सप्ताह की लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है;

IndiaCode

(ख) यदि विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में रजिस्ट्रीकरण नवीनीकृत करने में विफल रहता है;

(ग) यदि विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल हो जाता है

(घ) यदि विद्यार्थी ने कदाचार/अनुशासनहीनता के कार्य में अंतर्निहित पाया जाता है;

(ङ) यदि विद्यार्थी का शैक्षणिक प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है; और

(च) यदि विद्यार्थी कार्यक्रम से त्याग-पत्र देता है और उसका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है।
बशर्ते कि उपधारा (क) से (ङ) को लागू करने से पहले विद्यार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

16. उपस्थिति:

(क) विद्यार्थी से प्रत्येक विषय के प्रत्येक व्याख्यान और प्रायोगिक कक्षा में उपस्थित होना अपेक्षित है। हालांकि, सेमेस्टर-की अंतिम परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षा विद्यार्थी को आयोजित व्याख्यानों और प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रायोगिक कक्षाओं में से 75% में उपस्थिति होना अनिवार्य है;

(ख) यदि विद्यार्थी धारा 24(ग) के अंतर्गत दोबारा परीक्षा में बैठता है, तो उसे अगले बैच के नियमित विद्यार्थियों के साथ कक्षाओं में उपस्थित होना होगा और उपस्थिति की अपेक्षा उपर्युक्त (क) के अनुसार होगी; तथा

(ग) यदि विद्यार्थी धारा 24(ख) के अंतर्गत दोबारा परीक्षा में बैठता है, तो उसे कक्षाओं में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. अवकाश:

(क) मास्टर्स विद्यार्थी चार सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के दौरान सामान्य अवकाशों के अतिरिक्त 45 दिनों के अवकाश के पात्र होगें;

(ख) पीएच.डी. विद्यार्थी एक वर्ष में सामान्य अवकाशों के अतिरिक्त 30 दिन के अवकाश के पात्र होगें;

(ग) विद्यार्थी को डीन की पूर्व स्वीकृति से शैक्षणिक बैठकों, प्रशिक्षण, सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) सहित अवकाश दिया जाएगा;

(घ) अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी किसी भी प्रकार के अवकाशों जैसे ग्रीष्म, शीत आदि के लिए पात्र नहीं होंगे;

(ङ) विद्यार्थी उपरोक्त (क) अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए पात्र होंगे; तथा

(च) महिला विद्यार्थी अपनी विद्यार्थीवृत्ति के दौरान एक बार 30 दिन के अवकाश के अतिरिक्त अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) के साथ 3 महीने के मातृत्व अवकाश के लिए भी पात्र होगी;

(छ) सलाहकार की सिफारिश पर विभागाध्यक्ष द्वारा अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(ज) प्रत्येक विभाग प्रत्येक विद्यार्थी के अवकाश का लेखा रखेगा।

(झ) प्रायोजित श्रेणियों (सीएसआईआर/यूजीसी/डीएसटी/आईसीएमआर/डीबीटी आदि) के अंतर्गत पीएच.डी. विद्यार्थी, वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली वित्त पोषण एजेंसियों के नियमों द्वारा शासित होगें।

IndiaCode

18. पाठ्यक्रम कार्य और मूल्यांकन:

(क) पाठ्यक्रम कार्य:

(i) संस्थान में अध्ययन कार्यक्रम क्रेडिट प्रणाली पर आयोजित किया जाएगा;

(ii) प्रत्येक पाठ्यक्रम में निश्चित संख्या(यों) में क्रेडिट होंगे जो उसके वेटेज का वर्णन करेंगे;

(iii) विद्यार्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट की संख्या उसके प्रदर्शन का निर्धारण करेगी;

(iv) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक संकाय सदस्य पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करेगा;

(v) पाठ्यक्रम समन्वयक पाठ्यक्रम के संचालन, परीक्षा आयोजित करने, असाइनमेंट का मूल्यांकन करने और ग्रेड देने में शामिल अन्य संकाय सदस्यों के कार्य का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगा;

(vi) डिग्री में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट की आवश्यकता होगी; तथा

(vii) विद्यार्थी को उस पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में पाठ्यक्रम समन्वयक से संपर्क करना होगा।

सलाहकार की सिफारिश और पाठ्यक्रम समन्वयक की सहमति पर, पीएच.डी. विद्यार्थी को पाठ्यक्रम(मों) जोड़ने या हटाने की अनुमति होगी।

(ख) मूल्यांकन:

(i) विद्यार्थी को प्रत्येक लिखित पाठ्यक्रम के लिए दो लिखित परीक्षाएं, एक मध्यावधि परीक्षा और अन्य अंतिम-अवधि परीक्षा देना अनिवार्य होगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए 20% अंक मध्यावधि परीक्षा के लिए तथा 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन और 60% अंक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए है।

(ii) विद्यार्थी के प्रयोगशाला कार्य, कार्यशालाओं और होम असाईन्मेन्ट का मूल्यांकन किया जाएगा।

(iii) विद्यार्थी को मध्यावधि एवं अंतिम अवधि की परीक्षा, प्रयोगशाला कार्य, कार्यशाला कार्य और होम असाईन्मेन्ट के आधार पर ग्रेड प्रदान किया जाएगा;

(iv) यदि सेमेस्टर के दौरान पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक सप्ताह एक व्याख्यान निर्धारित किया गया है, तो उस व्याख्यान को एक क्रेडिट दिया जाएगा। हालाँकि, कुछ पाठ्यक्रमों को अधिकतम तीन क्रेडिट दिए जा सकते है;

(v) जहां किसी विशेष पाठ्यक्रम(मों) के लिए तीन क्रेडिटों से अधिक वाले पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, तो अध्ययन और शोध बोर्ड की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है;

(vi) जहाँ प्रयोगशाला और प्रायोगात्मक पाठ्यक्रम(मों) के लिए साधारण रूप से प्रत्येक सप्ताह में पांच घंटों का एक सत्र होगा, उस पाठ्यक्रम(मों) का एक क्रेडिट होगा। इसको परिवर्तित करने के लिए, अध्ययन और शोध बोर्ड की पूर्व स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी।

(vii) यदि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो उसे 'एफ' ग्रेड प्रदान किया जाएगा।

19. ग्रेडिंग प्रणाली:

IndiaCode

अक्षर ग्रेड और उनके समकक्ष ग्रेड अंक नीचे दिए गए हैं:-

ग्रेड	ग्रेड बिंदु	प्रदर्शन
ए	10	विशिष्ट
ए(-)	9	उत्कृष्ट
बी	8	बहुत उत्तम
बी(-)	7	उत्तम
सी	6	औसत
सी(-)	5	औसत से कम
डी	4	सीमांत
इ	2	अपकृष्ट
एफ	0	अति अपकृष्ट/अनुपस्थित/कम उपस्थिति
आई	-	अपूर्ण
एन	-	संपरीक्षा उत्तीर्ण
एनई	-	संपरीक्षा अनुत्तीर्ण
डब्ल्यू	-	हटना
एक्स	-	जारी रहना (केवल मास्टर्स शोध परियोजना)
एस	-	व्यावहारिक प्रशिक्षण का संतोषजनक समापन
जेड	-	व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा न होना

ग्रेड पॉइंट औसत (जीपीए) = (क्रेडिटों की संख्या x ग्रेड पॉइंट)/क्रेडिट

ग्रेड पॉइंट औसत की संगणना के लिए केवल वे पाठ्यक्रम(मों), जिसके अंतर्गत उन परियोजनाओं को हिसाब में लिया जाएगा जिनमें विद्यार्थी को ए, बी, सी या डी ग्रेड प्रदान किया गया हो।

20. ग्रेड:

(क) यदि किसी विद्यार्थी ने व्याख्यान/ट्यूटोरियल/या प्रयोगशाला की कक्षाओं में 50% से अधिक लेकिन 75% से कम उपस्थिति दर्ज की है, तथा पाठ्यक्रम की योग्यताओं को पूरा करने में बिमारी की वजह से, दुर्घटना/ किसी अनहोनी की वजह से या अन्य किसी आवश्यक कारणवश वो सेमेस्टर की अनिवार्यताओं को पूरा नहीं कर पाया हो तो विद्यार्थी को 'आई' ग्रेड के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक को एक आवेदन देना पड़ेगा। बीमारी के कारण के लिए आवेदन पत्र के साथ संस्थान के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। परन्तु, यदि विद्यार्थी संस्थान के बाहर बीमार हुआ है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र उनको चिकित्सा अधिकारी जिसका रैंक जिले के उप चिकित्सा अधिकारी से कम नहीं हों, से प्रमाणित होना अनिवार्य है।

यदि संबंधित पाठ्यक्रम समन्वयक मामले की परिस्थितियों को सही मानता है तो वह विभागाध्यक्ष के परामर्श से विद्यार्थी को उन विषयों पर असाइनमेन्ट देकर उपस्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमति देगा जिनमें विद्यार्थी ने भाग नहीं लिया है। ऐसे असाइनमेन्ट का रिकार्ड रखा जाएगा। फिर पाठ्यक्रम समनव्यक विभागाध्यक्ष को 'आई' ग्रेड देने के मामले में सिफारिश करेगा। विभागाध्यक्ष मामले को डीन के पास भेजेंगे।

(ख) यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75% से अधिक हैं लेकिन वह किसी बीमारी या दुर्घटना या किसी अनहोनी या किसी आवश्यक कार्य के कारण वह अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ था तो विद्यार्थी को 'आई' ग्रेड की श्रेणी के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक आवेदन देना होगा। बीमारी के कारण के लिए आवेदन पत्र के साथ यथा उपरोक्त (क) के अनुसार चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र भी संलग्न करना पड़ेगा। यदि पाठ्यक्रम समन्वयक मामले के तथ्यों से संतुष्ट है तो वह आवेदन को विभागाध्यक्ष को अग्रेषित करेगा। उसे विभागाध्यक्ष द्वारा संकायाध्यक्ष को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा।

(ग) संकायाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त विद्यार्थी को 'आई' ग्रेड प्रदान किया जाएगा तथा इसकी एक अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना की एक प्रति प्रबंधकारिणी समिति (सीनेट) को पुष्टि के लिए भेजी जाएगी।

(घ) यदि किसी विद्यार्थी को 'आई' ग्रेड प्रदान किया गया है, तो वह मध्यावधि परीक्षा के समाप्त होने के बाद 10 दिनों की अवधि में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठ सकता है और विद्यार्थी को सामान्य ग्रेड प्रदान किया जाएगा।

21. लेखा परीक्षा पाठ्यक्रम:

यदि विद्यार्थी पंजीकृत कार्यक्रमों के अलावा किसी अन्य विषय(यों) का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हैं तो इस संबंध में उसको समन्वयक और सलाहकार की अनुमति लेनी होगी। यदि पाठ्यक्रम समन्वयक को लगता हैं कि विद्यार्थी को उक्त विषय की जरूरत हैं तो वह ऐसे पाठ्यक्रम(मों) के लेखा परीक्षा के लिए विद्यार्थी को अनुमति प्रदान करेगा बशर्ते ऐसे पाठ्यक्रम(मों) संस्थान में प्रस्तावित किए जा रहे हैं। 75% उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा और विद्यार्थी को इसके लिए 'एन' या 'एनई' ग्रेड प्रदान किया जाएगा।

22. डब्ल्यू- ग्रेड:

(क) यदि विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में किसी कारणवश असमर्थ है जो उसके वश में नहीं हैं, तो ऐसे विद्यार्थी को पाठ्यक्रम छोड़ने के लिए संकायाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी।

IndiaCode

(ख) यदि संकायाध्यक्ष मामले से संतुष्ट है तो नाम वापसी की अनुमति के लिए निदेशक से मामले की सिफारिश करेगा।

(ग) यदि निदेशक इस तरह के पाठ्यक्रमों से विद्यार्थी को हटने के लिए अनुमति देता है तो इस तरह के विद्यार्थी को 'डब्ल्यू' ग्रेड में रखा जाएगा।

(घ) आहरण की प्रक्रिया मास्टर शोध परियोजना के लिए लागू नहीं होगी।

(ङ) विद्यार्थियों को जिन पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव दिया जा रहा हैं, उन्हें वे पाछ्यक्रम सभी प्रकार से पूरा करना पड़ेगा।

(च) यदि विद्यार्थी सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो उसे नियमित ग्रेड पूरे करने पड़ेगें।

IndiaCode

23. एक्स ग्रेड -

(क) यदि विद्यार्थी बीमारी, उपकरण/सलाहकार की अनुपलब्धता के कारणों से मास्टर्स शोध परियोजना को पूरा करने में असमर्थ है, तो सलाहकार विभागाध्यक्ष से सलाह करने के उपरान्त, विभागाध्यक्ष ऐसे विद्यार्थी को 'एक्स' ग्रेड प्रदान करने के लिए संकायाध्यक्ष से सिफारिश करेगा। संकायाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त विद्यार्थी को 'एक्स' ग्रेड प्रदान किया जाएगा; और

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार यदि विद्यार्थी परियोजना का कार्य छह माह के भीतर पूरा कर लेता तो उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा और विद्यार्थी को नियमित ग्रेड प्रदान किया जाएगा।

24. परीक्षा की पुनरावृत्ति :

(क) निम्नलिखित कारणों पर विद्यार्थी को लिखित पाठ्यक्रम में परीक्षा की पुनरावृत्ति की अनुमति दी जाएगी।

(ख) यदि पर विद्यार्थी दो या कम पाठ्यक्रमों में 'ई' या 'एफ' या दोनों ग्रेड(डों) प्राप्त करता है, तोउसे परीक्षा की पुनरावृत्ति करनी होगी। यह परीक्षा मध्यावधि परीक्षा के समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर होगी।

(ग) यदि पर विद्यार्थी को किसी भी लिखित पाठ्यक्रम में 'ई' या 'एफ' ग्रेडनहीं मिलता है लेकिन उसका संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत 6.00 से कम है तो उसे ग्रेड सुधार के लिए अधिकतम दो पाठ्यक्रम की परीक्षा पुनरावृत्ति का मौका दिया जाएगा;

(घ) यदि विद्यार्थी की उपस्थिति 75% या उससे अधिक है और 'आई' ग्रेड में दिए गए कारणों की वजह से वह परीक्षा देने में असमर्थ है तो विद्यार्थी को अंतिम सेमेस्टर परीक्षा, जब कभी भी वैसी परीक्षा संचालित की जाएगी, तब विद्यार्थी का उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी को दोबारा कक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी और अग्रिम सेमेस्टर(रों) में उसका पाठ्यक्रम सुचारु रूप से चलता रहेगा।

(ङ) यदि विद्यार्थी की उपस्थिति 75% से कम हैं और उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो जब भी वह पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा तो वह अपने पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी।

(च) यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी सेमेस्टर में दो पाठ्यक्रमों से अधि में उसे 'एफ' ग्रेड मिलता हैं तो उसे अपने अध्ययन से हटना होगा और उसे संस्थान का विद्यार्थी नहीं माना जाएगा।

(छ) यदि कोई विद्यार्थी अपने संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट में सुधार करना चाहता है तो उसे उस सेमेस्टर में दो से ज्यादा लिखित पाठ्यक्रम में अंक सुधारने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ज) पुनरावृत्ति परीक्षा में दिया गया ग्रेड ही अंतिमम ग्रेड होगा।

(झ) ग्रेड सुधार परीक्षा से प्राप्त अंक को पुरस्कार सूची में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ञ) ग्रेड सुधार परीक्षा के विद्यार्थी मेरिट पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को मेरिट सूची में उन विद्यार्थियों से नीचे स्थान दिया जाएगा जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की हैं।

25. मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड:

(क) फार्मेसी में मास्टर/ प्रौद्योगिकी में मास्टर (फार्म.)/ विज्ञान में मास्टर (फार्म.):

(i) मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50 क्रेडिट अनिवार्य हैं। इसमें से 30 क्रेडिट पाठ्यक्रम कार्य और 20 क्रेडिट परियोजना कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(ii) फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स कार्यक्रम में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50 क्रेडिट पूरा करना अनिवार्य होगा। इसमें से 36 क्रेडिट पाठ्यक्रम कार्य के लिए और 14 क्रेडिट परियोजना कार्य के लिए निर्धारित किए गए है।

(ख) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फार्म.):

(i) मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 100 क्रेडिट पूरे करने होंगे। जिसमें से 86 क्रेडिट पाठ्यक्रम कार्य, 12 क्रेडिट परियोजना कार्य के लिए तथा 2 क्रेडिट ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(ii) न्यूनतम संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट 6.00 अपेक्षित हैं।

(iii) यदि पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या का लाभ उठाने के बाद विद्यार्थी पाठ्यक्रम(मों) उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहता है या न्यूनतम संचयी औसत अंक अर्जित करने में विफल रहता है तो विद्यार्थी को अपना कार्यक्रम छोड़ना पड़ेगा।

(iv) विद्यार्थी द्वारा सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद और शोध कार्य के सफल समापन पर विद्यार्थी शोध प्रबंध प्रस्तुत करेगा;

(v) शोध प्रबंध कार्य का मूल्यांकन और मास्टर डिफेंस की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने का पात्र होगा।

(vi) मास्टर कार्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि कार्यक्रम में शामिल होने की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

26. पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड:

(क) जिन विद्यार्थियों ने संस्थान से एम.एस. (फार्म) की डिग्री प्राप्त की है उनको न्यूनतम 12 डॉक्टरल पाठ्यक्रम पूरा करने की आवश्यकता है।

(ख) जिन विद्यार्थियों ने अन्य संस्थानों से अपनी डिग्री प्राप्त की है उन छात्रों को न्यूनतम 28 क्रेडिट पूरे करने अनिवार्य होंगे जिसमें से 16 क्रेडिट विशेषज्ञता और शेष 12 क्रेडिट डॉक्टरल पाठ्यक्रम पूरे करने अपेक्षित हैं।

(ग) जिन विद्यार्थियों ने पहले ही समान पाठ्यक्रम में मास्टर डिग्री में विशिष्टता ले रखी है, तथा नाईपर और डेक, पूर्व संस्थान से पूरी तरह से मूल्यांकित करने के बाद, उन छात्रों को कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों में छूट प्रदान की जाएगी ।

(घ) विद्यार्थियों को न्यूनतम संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट 6.50 प्राप्त करना होगा।

(ङ) यदि संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट 6.00 और 6.50 के बीच है तो विद्यार्थी को संचयी औसत ग्रेड प्वाइंट 6.50 को प्राप्त करने के लिए अधिक पाठ्यक्रमों को लेना होगा।

(च) यदि कोई विद्यार्थी संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत 6.00 से कम प्राप्त करता हैं तो उसे यह पाठ्यक्रम छोड़ना होगा।

(छ) यदि कोई विद्यार्थी लिखित पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करता हैं तो उसे विस्तार परीक्षा में बैठना होगा।

(ज) विद्यार्थी को विस्तृत परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो मौके दिए जाएंगे। बशर्ते दोनों प्रयास एक ही सेमेस्टर में नहीं होंगे।

(झ) यदि कोई विद्यार्थी सफलतापूर्वक विस्तृत परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो उसका अस्थायी पी.एच.डी रजिस्ट्रीकरण स्थायी माना जाएगा।

(ञ) रजिस्ट्रीकरण की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी। फिर भी किन्हीं विशिष्ट मामलों में रजिस्ट्रीकरण की अवधि दो वर्ष होगी।

(ट) शोध कार्य के सफलतापूर्वक समापन पर, विद्यार्थी को अपना निबंध शोध जमा करवाना होगा।

(ठ) शोध कार्य के मूल्यांकन तथा निबंध शोध डिफेंस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर, विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

IndiaCode

27. समितियां:

शैक्षणिक प्रशासन हेतु निम्नलिखित समितियां गठित की जाएगी:

(क) अध्ययन एवं शोध बोर्ड:

बोर्ड नए पाठ्यक्रमों आरंभ करनेविद्यमान पाठ्यक्रम संरचना में सुधार तथा पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण/अद्यतन की व्यवहार्यता के लिए विचार एवं सुझाव देगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड विद्यार्थी से संबंधित प्रवेश, पाठ्यक्रमों का संचालन, जांच/मूल्यांकन प्रक्रिया एवं विद्यार्थी शोध समिति द्वारा की गई सिफारिशों की देख-रेख करेगा। जहां कहीं आवश्यक हो, संकाय सदस्यों/विशेषज्ञों की राय लेने के लिए सदस्यों/विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक हेतु विशेष संकाय सदस्य 'अतिथि' के रूप में बुलाए जाएंगे। बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा:

(i)	संकायाध्यक्ष	अध्यक्ष
(ii)	विभागाध्यक्ष	सदस्य
(iii)	तीन विशेषज्ञ क्रमश: जो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और औषध विज्ञान से संबंधित हो	सदस्य
(iv)	उपकुलसचिव (शैक्षणिक एवं परीक्षा)	गैर सदस्य सचिव

(ख) विभागीय शैक्षणिक सलाहकार समिति:

सलाहकार समिति विभाग द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम को अध्यतन करेगी, नए पाठ्यक्रम तैयार करेगी, नए पाठ्यक्रम शुरु करने की व्यवहार्यता की जांच करेगी और बोर्ड ऑफ स्टडीज को आगे विचार करने के लिए प्रेषित करेगी। समिति का गठन इस प्रकार होगा:

(i) विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
(ii) संबंधित विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग से एक संकाय सदस्य, संकायाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा	
(iii) इस सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा; एवं	सदस्य
(iv) विभाग द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ	सदस्य

(ग) विद्यार्थी शोध समिति:

यह समिति विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रियाकलापों का प्रबंधन और निगरानी करेगी। साथ ही विद्यार्थियों के शोध कार्यों की निगरानी एवं मूल्यांकन भी करेगा। समिति का गठन इस प्रकार होगा:

i) सलाहकार	अध्यक्ष
ii) विभागाध्यक्ष	सदस्य
iii) विभाग से इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य
iv) अन्य विभाग से एक संबंधित संकाय सदस्य, संकायाध्यक्ष द्वारा नामित	सदस्य

बशर्ते कि यदि विभागाध्यक्ष प्रमुख सलाहकार हैं तथा संबंधित विभाग के अन्य संकाय सदस्य, सदस्य होंगे।

संकायाध्यक्ष (क) पर दी गई समिति गठित करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा जबकि (ख), (ग) पर दी गई समिति के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष अधिसूचना जारी करेगा।

अधिसूचित समिति के तीन-चौथाई सदस्य का गठन करेंगे।

28. शोध प्रस्ताव और व्यापक परीक्षा:

(क) यदि किसी पी.एच.डी. विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम कार्य पूरा कर लिया है तो उसे विद्यार्थी शोध समिति के समक्ष शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। विद्यार्थी को शोध के व्यापक क्षेत्र में अपनी क्षमताओं, अकादमिक तैयारी और प्रस्तावित शोध योजना को पूरा करने की क्षमता को साबित करना होगा। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को व्यापक मौखिक परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी शोध समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव के संदर्भ में विद्यार्थी शोध समिति उसका मूल्यांकन करेगी।

(ख) यदि समिति ने विद्यार्थी का मूल्यांकन कर लिया है, वह निम्नलिखित में से एक सिफारिश करेगी:

(i) विद्यार्थी ने व्यापक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और शोध प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है;

(ii) विद्यार्थी को अतिरिक्त पाठ्यक्रम लेना होगा और फिर विनिर्दिष्ट समयावधि के बाद पुनः परीक्षा देनी होगी;

(iii) विद्यार्थी को विद्यार्थी शोध समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन को शोध योजना में शामिल करना होगा तथा विनिर्दिष्ट समयावधि में शोध प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करना होगा।

(ग) यदि किसी विद्यार्थी का परिणाम ख(ii) या ख(iii) या, दोनों, जो भी लागू हो, में आता है, विद्यार्थी को व्यापक परीक्षा में पुनः उपस्थित होना होगा।

(घ) विद्यार्थी को अधिकतम दो प्रयासों में तथा छठे सेमेस्टर की शुरुआत से पहले व्यापक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। बशर्ते दोनों प्रयास एक ही सेमेस्टर में न हों।

(ङ) यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित समय तक परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे समय में विस्तार के लिए विद्यार्थी शोध समिति से लिखित रूप से संपर्क करना होगा।

(च) यदि कोई विद्यार्थी शोध समिति मामले की योग्यता के बारे में आश्वस्त है, वह उसे अधिकतम छह महीने का विस्तार अनुमत करेगी और संकायाध्यक्ष को सूचित करेगी। विद्यार्थी को विस्तारित अवधि में व्यापक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, उपरोक्त (घ) में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, केवल एक अवसर प्राप्त होगा।

(छ) यदि कोई विद्यार्थी विस्तारित अवधि के दौरान भी व्यापक परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

29.सलाहकार :

(क) विभागाध्यक्ष, विभाग के संकाय सदस्यों के परामर्श से, प्रवेश के चार सप्ताह के भीतर विद्यार्थी की वरीयता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सलाहकार नियुक्त करेंगे;

(ख) सलाहकार संस्थान का पूर्णकालिक संकाय सदस्य होगा;

(ग) यदि संयुक्त सलाहकार नियुक्त करने की आवश्यकता है तो सलाहकार प्रस्ताव को संकायाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो इसे अंतिम स्वीकृति के लिए अध्ययन एवं शोध बोर्ड के समक्ष रखेगा। संस्थान के अंदर या बाहर से दो से अधिक संयुक्त सलाहकार नियुक्त नहीं किए जाएँगे;

(घ) यदि आवश्यक हो तो संयुक्त सलाहकार की नियुक्ति अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के अठारह महीने के भीतर की जाएगी;

(ङ) संस्थान के भीतर से विद्यार्थी को दो से अधिक सलाहकार नहीं दिए जाएँगे। बशर्ते कि यदि सलाहकार संस्थान में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार उपलब्ध न हो तो उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा;

(च) प्रवेश के बाद पहले चार सप्ताह के दौरान मास्टर छात्रों के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी; तथा

(छ) यदि सलाहकार, सिनॉप्सिस के अनुमोदन से पहले सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु/संस्थान से लंबी अनुपस्थिति के कारण उपलब्ध नहीं है तो ऐसे विद्यार्थी के लिए एक नया सलाहकार नियुक्त किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि सिनॉप्सिस के अनुमोदन के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो शोध को मूल रूप से नियुक्त सलाहकार के अधीन पूरा हुआ माना जाएगा। शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा संकायाध्यक्ष और निदेशक की सहमति से एक प्रशासनिक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। मूल रूप से नियुक्त सलाहकार को मौखिक बचाव समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन आमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थता की स्थिति में, प्रशासनिक सलाहकार ही सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।

संकायाध्यक्ष और निदेशक की संतुष्टि के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं के अंतर्गत पीएचडी छात्रों को अलग सलाहकार के अधीन पुनः आबंटित करने की अनुमति दी जाएगी। संबंधित विषय में बदलाव की अनुमति दी जा सकती है।

30. प्रगति की निगरानी:

(क) प्रत्येक विद्यार्थी को सेमेस्टर के अंत में अपने पाठ्यक्रम कार्य, शोध और मौखिक परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट अपने सलाहकार को प्रस्तुत करनी होगी। सलाहकार, प्रगति रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अति शीघ्र विद्यार्थी शोध समिति की बैठक बुलाएगा।

(ख) प्रगति रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद विद्यार्थी शोध समिति निम्नलिखित में से एक की सिफारिश करेगी:

(i) रजिस्ट्रीकरण जारी रहेगा;
(ii) रजिस्ट्रीकरण जारी रखना सुझाए गए सुधारों को शामिल करने के अधीन है; तथा
(iii) रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाए।

31. शोध निबंध/थीसिस की तैयारी और प्रस्तुति:

(क) मास्टर्स कार्यक्रम:

(i) यदि किसी विद्यार्थी ने परियोजना कार्य पूरा कर लिया है तो उसे बिना जिल्द (अनबाउंड) वाला शोध निबंध प्रस्तुत करना होगा, उसे फाइल कवर में उचित रूप से सुरक्षित करना होगा और विद्यार्थी शोध समिति के समक्ष कार्य प्रस्तुत करना होगा; तथा

(ii) यदि विद्यार्थी शोध समिति कार्य को स्वीकृति दे देती है तो विद्यार्थी को संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप में शोध निबंध तैयार करना होगा और नियत तिथि तक हार्डबाउंड थीसिस की चार प्रतियां जमा करनी होंगी।

IndiaCode

(ख) पी.एच.डी. कार्यक्रम:

(i) यदि किसी विद्यार्थी ने शोध पूरा कर लिया है तो वह अपना कार्य विद्यार्थी शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(ii) यदि विद्यार्थी शोध समिति शोध कार्य को स्वीकृति देती है तो वह विद्यार्थी, शोध समिति के सलाहकार के माध्यम से सभी प्रकार से पूर्ण सिनॉप्सिस प्रस्तुत करेगा;

(iii) यदि विद्यार्थी शोध समिति सिनॉप्सिस को मंजूरी देती है तो विद्यार्थी को स्वीकृति की तिथि से छह महीने के भीतर थीसिस जमा करनी होगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में, संकायाध्यक्ष की सिफारिश और निदेशक द्वारा अनुमोदित होने पर इस अवधि को अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है; तथा

(iv) विद्यार्थी को बिना जिल्द (अनबाउंड) वाली थीसिस की चार प्रतियां फाइल कवर में उचित रूप से सुरक्षित करके प्रस्तुत करनी होंगी।

पीएचडी विद्यार्थी को रजिस्ट्रीकरण की तिथि से पांच वर्ष के भीतर थीसिस जमा करानी होगी। अध्ययन एवं शोध बोर्ड की मंजूरी से इस अवधि को सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

32. परीक्षकों का पैनल –

(क) एम.एस. (फार्मा.)/एम.फार्मा./एम.टेक.(फार्मा.)/एम.बी.ए.(फार्मा):

विद्यार्थी शोध समिति के सदस्य शोध निबंध के परीक्षकों का पैनल होगा।

(ख) पी.एच.डी. कार्यक्रम:

(i) सलाहकार, विद्यार्थी शोध समिति के परामर्श से संकायाध्यक्ष को प्रत्येक डॉक्टरेट विद्यार्थी के लिए छह विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिश करेगा। इनमें से तीन विशेषज्ञ विदेश से होंगे; तथा

(ii) यदि विद्यार्थी पीएचडी थीसिस जमा करता है तो संकायाध्यक्ष थीसिस के मूल्यांकन के लिए पैनल में से दो विशेषज्ञों को नामित करेगा। इनमें से एक विशेषज्ञ विदेश से होगा।

IndiaCore

33.शोध निबंध/थीसिस का मूल्यांकन -

(क) मास्टर्स शोध निबंध:

मास्टर्स शोध निबंध का मूल्यांकन विद्यार्थी शोध समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) पी.एच.डी. थीसिस:

(i) पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। परीक्षकों में से एक विदेश से होगा;

(ii) बाह्य परीक्षक से अनुरोध किया जाएगा कि वह थीसिस का मूल्यांकन करें और निर्धारित समयावधि के भीतर मूल्यांकन रिपोर्ट संकायाध्यक्ष को भेजें;

(iii) यदि बाह्य परीक्षकों के बीच मतभेद हो तो संकायाध्यक्ष थीसिस के मूल्यांकन के लिए तीसरे परीक्षक की नियुक्ति करेगा;

(iv) यदि बाह्य परीक्षक पीएचडी थीसिस को स्वीकृति देते हैं तो मौखिक परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां बाह्य परीक्षक पुनः प्रस्तुत करने की अनुशंसा करते हैं तो संशोधन की अनुमति की संख्या को ध्यान में न रखते हुए थीसिस को अधिकतम दो वर्षों की अवधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

34. शोध निबंध/थीसिस का पक्ष लेना:

(क) मास्टर्स कार्यक्रम:

(i) यदि किसी विद्यार्थी को शोध निबंध प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है तो उसे शोध निबंध के पक्ष में विनिर्दिष्ट तिथि को मौखिक परीक्षा में उपस्थित होना होगा;

(ii) परीक्षा के लिए विद्यार्थी शोध समिति, परीक्षक बोर्ड होगी;

(iii) बोर्ड संकायाध्यक्ष को इस मौखिक परीक्षा का परिणाम सूचित करेगा, जिसमें यह होगा कि विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या विद्यार्थी को कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है या विद्यार्थी को बाद में विनिर्दिष्ट तिथि पर फिर से मौखिक परीक्षा में उपस्थित होना होगा;

(iv) यदि विद्यार्थी को कुछ संशोधन करने के लिए कहा गया है और उसने ऐसा किया है, तो सलाहकार के माध्यम से बोर्ड के ध्यान में लाया जाएगा। यह संतुष्ट होने के बाद कि बोर्ड के निर्देशों का पालन किया गया है, बोर्ड संकायाध्यक्ष को सूचित करेगा कि विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; तथा

(v) यदि विद्यार्थी पुनः बोर्ड के समक्ष मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होता है और सफलतापूर्वक शोध प्रबंध का पक्ष लेता है, तो बोर्ड संकायाध्यक्ष को सूचित करेगा कि विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

(ख) पी.एच.डी. कार्यक्रम:

(i) यदि किसी विद्यार्थी की थीसिस स्वीकार कर ली गई है तो उसे थीसिस का पक्ष लेने के लिए परीक्षक बोर्ड के समक्ष मौखिक परीक्षा में उपस्थित होना होगा;

(ii) मौखिक परीक्षा लेने के लिए परीक्षकों के बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे: संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होंगे, दो बाह्य परीक्षकों में से एक, सलाहकार, विभागाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के सलाहकार होने की स्थिति में विभाग से एक संकाय सदस्य। यदि संकायाध्यक्ष सलाहकार हैं, तो निदेशक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्ष होंगे। दो बाह्य परीक्षकों में से किसी एक के उपलब्ध न होने की स्थिति में, संकायाध्यक्ष धारा 32(ख) में उल्लिखित परीक्षकों के पैनल से अधिमानतः अन्य परीक्षक नियुक्त करेगा;

(iii) बोर्ड, संकायाध्यक्ष को परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करेगा कि विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या थीसिस में कुछ संशोधन शामिल किए जाने की आवश्यकता है या

विद्यार्थी को बाद में विनिर्दिष्ट तिथि पर फिर से मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा या विद्यार्थी डिग्री प्रदान करने योग्य नहीं है;

(iv) यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षक मंडल के सुझावों को शामिल करने की सलाह दी गई है तो सलाहकार द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। यह संतुष्ट होने के बाद कि प्रस्तावित सुझावों को शामिल कर लिया गया है, सलाहकार इसके बारे में संकायाध्यक्ष को सूचित करेगा; तथा

(v) यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षक बोर्ड के समक्ष मौखिक परीक्षा के लिए पुनः उपस्थित होना आवश्यक है, और वह सफलतापूर्वक थीसिस का पक्ष लेता है, तो बोर्ड संकायाध्यक्ष को सूचित करेगा कि विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने का अस्थायी प्रमाण पत्र तब जारी किया जाएगा जब वह अपने शोध निबंध/थीसिस की जिल्द बंद (बाउंड) तीन प्रतियां जमा करेगा।

IndiaCode

35.डिग्री प्रदान करना:

यदि किसी विद्यार्थी ने:

(क) कोई बकाया नहीं है, का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो;

(ख) मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो; और

(ग) शोध निबंध की तीन जिल्दबंद प्रतियां प्रस्तुत की हो, प्रबंधकारिणी समिति (सीनेट) शासी मंडल को डिग्री प्रदान करने के लिए सिफारिश करेगी।

36. पोस्ट डॉक्टरल शोध:

पोस्ट-डॉक्टरल अभ्यर्थी (फेलो) को शोध कार्य के उद्देश्य से कुछ शोध परियोजनाओं में शामिल किया जाएगा।

37. पाठ्यक्रम विकास:

(क) वैश्वीकरण के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग कई गुना बढ़ गई है। पाठ्यक्रम को अद्यतित करना और बेहतर बनाना एक आवश्यकता बन गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए संस्थान पाठ्यक्रम को लगातार संशोधित करके इसे समान रूप से अग्रसर बनाए रखने का प्रयास करेगा;

(ख) संस्थान का उद्योग के साथ निरंतर संपर्क रहेगा। संस्थान-उद्योग संपर्क को लाभकारी बनाने के लिए उद्योग के व्यावसायिकों को पाठ्यक्रम विकास से जोड़ा जाएगा;

(ग) वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा; तथा

(घ) संस्थान गतिशील पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए प्रभावी शिक्षण से जुड़ी सभी आधुनिक तकनीकों को अपनाएगा।

38. प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम:

औषध से जुड़े लोगों को शोध में नवीनतम विकास के संबंध में अद्यतित रखने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, संस्थान समय-समय पर, निम्नलिखित अनुसार लघु अवधि पाठ्यक्रम आयोजित करेगा:

(क) औषध उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं; और

(ख) कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में औषध शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन स्कूल और सेमिनार।

IndiaCode

39. छात्रावास आवास:

सभी विद्यार्थी, छात्रावास आवास के लिए पात्र होंगे और उपलब्धता के आधार पर उन्हें आवास प्रदान किया जाएगा। आवास के लिए शुल्क समय-समय पर प्रबंधकारिणी समिति (सीनेट) द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

40. सामान्य:

(क) इस अध्यादेश में निहित किसी भी बात के बावजूद, विद्यार्थियों पर प्रबंधकारिणी समिति (सीनेट) द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का शासन होगा; तथा

(ख) इस अध्यादेश की व्याख्या के संबंध में किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में प्रबंधकारिणी समिति (सीनेट) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

IndiaCode